International Journal of Emerging Voices in Education
Volume 2 | Issue 6 | June 2026 | ISSN: 3107-958X (Online)
Available online at: https://ijeve.com/
DOI: https://doi.org/10.59828/ijeve.v2i6.63

कानपुर के अनुसूचित जाति विद्यार्थियों हेतु प्रशासनिक योजनाओं की पहुँच एवं प्रभावशीलता का अध्ययन

कुमकुम देवी[1], डॉ. अवधेश श्रीवास्तव[2]

[1]शोधार्थी, शिक्षा विभाग, भगवन्त विश्वविद्यालय अजमेर, राजस्थान

[1]**Email:** kumkumkritiwari@gmail.com

[2]एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, भगवन्त विश्वविद्यालय अजमेर, राजस्थान

[2]**Email:** awdhesh.sri@gmail.com

Received: 06 June 2026 | **Accepted:** 17 June 2026 | **Published:** 30 June 2026

Abstract (सारांश)

प्रस्तुत अध्ययन कानपुर नगर जनपद के अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए संचालित शैक्षिक प्रशासनिक योजनाओं विशेष रूप से प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की पहुँच और प्रभावशीलता का परीक्षण करता है। इसका उद्देश्य यह जानना है कि क्या ये योजनाएँ पात्र विद्यार्थियों तक प्रभावी रूप से पहुँच रही हैं और नामांकन व ठहराव पर इनका कैसा असर है। अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है, जिसमें जनगणना 2011, यू-डाइस+ रिपोर्ट, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रकाशित आँकड़ों का उपयोग किया गया है। यह माना गया कि योजनाओं की औपचारिक उपलब्धता के बावजूद वास्तविक पहुँच में अंतराल विद्यमान है। परिणाम दर्शाते हैं कि भुगतान-विलंब, जागरूकता की कमी और दस्तावेज़ी जटिलता के कारण कई पात्र विद्यार्थी लाभ से वंचित रह जाते हैं, तथा माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की ड्रॉपआउट दर अपेक्षाकृत ऊँची बनी हुई है। निष्कर्ष यह है कि योजनाओं का प्रभाव बढ़ाने हेतु समयबद्ध वितरण, सरल प्रक्रिया एवं सघन जागरूकता आवश्यक है।

मुख्य शब्द: अनुसूचित जाति, छात्रवृत्ति योजना, शैक्षिक पहुँच, कानपुर, प्रशासनिक प्रभावशीलता

1. प्रस्तावना

भारतीय संविधान ने सामाजिक न्याय और समता के सिद्धांत को आधार बनाते हुए ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों के शैक्षिक उत्थान हेतु अनेक विशेष प्रावधान किए हैं। शिक्षा को सामाजिक गतिशीलता का सबसे प्रभावी साधन माना गया है, क्योंकि यह व्यक्ति के ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास को विकसित कर उसके जीवन-स्तर में सुधार लाती है (राय एवं हलदर, 2018)। इसी उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकारें प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति, छात्रावास सुविधा और प्रोत्साहन राशि जैसी अनेक प्रशासनिक योजनाएँ संचालित करती हैं। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का स्पष्ट लक्ष्य अनुसूचित जाति विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाना है, ताकि सबसे निर्धन परिवारों के विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 2021)।

उत्तर प्रदेश इस संदर्भ में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लगभग 4.13 करोड़ है (भारत की जनगणना, 2011)। कानपुर नगर जनपद, जो जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का छठा सबसे बड़ा जिला है, में अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 8.17 लाख है (जिला प्रशासन कानपुर नगर, 2023)। एक औद्योगिक और मुख्यतः शहरी जनपद होने के नाते कानपुर में योजनाओं की भौगोलिक उपलब्धता तुलनात्मक रूप से अच्छी मानी जाती है, फिर भी पहुँच और प्रभावशीलता के स्तर पर अनेक प्रश्न बने रहते हैं। मात्र योजना का अस्तित्व उसकी सफलता की गारंटी नहीं देता। किसी योजना की

This is an open access article under the Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 International License.
© The Author(s) 2026. IJEVE Published by Surya Multidisciplinary Publication.

प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह पात्र विद्यार्थी तक समय पर, पूर्ण रूप में और सरल प्रक्रिया के साथ पहुँचे। अनेक अध्ययनों में देखा गया है कि छात्रवृत्ति राशि का विलंबित वितरण, ऑनलाइन आवेदन में तकनीकी बाधाएँ, बार-बार माँगे जाने वाले दस्तावेज़ और जागरूकता की कमी जैसी समस्याएँ योजनाओं के वास्तविक लाभ को सीमित कर देती हैं (कुमार, 2017; देहलवार एवं शर्मा, 2026)। इन्हीं बाधाओं के कारण नामांकन और ठहराव पर अपेक्षित सकारात्मक प्रभाव पूरी तरह दिखाई नहीं देता।

इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत अध्ययन कानपुर नगर जनपद को केंद्र में रखकर अनुसूचित जाति विद्यार्थियों हेतु संचालित प्रशासनिक योजनाओं की पहुँच एवं प्रभावशीलता का व्यवस्थित विश्लेषण करता है, ताकि नीतिगत सुधार हेतु उपयोगी आधार प्रस्तुत किया जा सके। कानपुर जैसे शहरी-औद्योगिक जनपद पर केंद्रित अध्ययन अपेक्षाकृत कम हुए हैं, जिससे इस शोध की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है (मण्डल एवं मेटे, 2019)।

2. साहित्य समीक्षा

अनुसूचित जाति विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक योजनाओं की प्रभावशीलता पर अनेक शोधकर्ताओं ने कार्य किया है, और इनके निष्कर्ष एक समान प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हैं। मण्डल एवं मेटे के अध्ययन में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में शैक्षिक कल्याण योजनाओं का मूल्यांकन किया गया, जिसमें पाया गया कि अधिकांश अनुसूचित जाति आबादी विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक नहीं है और छात्रवृत्ति राशि से संतुष्ट भी नहीं है (मण्डल एवं मेटे, 2019)। यह निष्कर्ष इस तथ्य को रेखांकित करता है कि औपचारिक रूप से उपलब्ध योजना का लाभ केवल तभी मिलता है जब लक्षित समूह को उसकी जानकारी हो। दास एवं हलदर ने भी इसी जिले में अनुसूचित जाति की जागरूकता का अध्ययन कर समान निष्कर्ष प्रस्तुत किए (दास एवं हलदर, 2019)। कुमार ने भारत में छात्र वित्तीय सहायता कार्यक्रमों, विशेषकर पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, का नीति-मूल्यांकनात्मक अध्ययन किया। उनके निष्कर्ष में स्पष्ट हुआ कि अधिकांश लाभार्थी मासिक भत्ते को अपर्याप्त मानते हैं तथा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में बार-बार दस्तावेज़ माँगे जाने और तकनीकी समस्याओं के कारण योजना की पारदर्शिता का उद्देश्य पूरी तरह साकार नहीं हो पाता (कुमार, 2017)। यह अध्ययन प्रशासनिक प्रक्रिया की जटिलता को प्रभावशीलता में बड़ी बाधा मानता है। ठाकुर ने पश्चिमी विदर्भ में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का अध्ययन कर इसे विद्यार्थियों के विकास में सहायक पाया (ठाकुर, 2017)।

देहलवार एवं शर्मा ने मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की शिक्षा और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का विश्लेषण करते हुए पाया कि निधि-प्रशासन में विलंब और गलत आवंटन के कारण अनेक पात्र विद्यार्थी सहायता से वंचित रह जाते हैं, और सामाजिक भेदभाव उनकी शैक्षिक यात्रा को और कठिन बना देता है (देहलवार एवं शर्मा, 2026)। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सिंह ने सोनभद्र जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों के बीच शैक्षिक योजनाओं की जागरूकता और उपयोगिता का अध्ययन कर यह आकलन किया कि विद्यार्थी इन योजनाओं से कितने प्रभावी रूप से लाभान्वित हो रहे हैं (सिंह, 2023)। राष्ट्रीय स्तर पर गुप्ता एवं सिद्धू ने 24 केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा करते हुए दर्शाया कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात से अनुसूचित जाति एवं जनजाति को हटा देने पर शेष श्रेणियों का अनुपात बढ़ जाता है, जो वंचित वर्गों की अपेक्षाकृत कमज़ोर भागीदारी का संकेत है (गुप्ता एवं सिद्धू, 2018)। उकेय ने पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा कर सुझाव दिया कि योजना को केवल पहुँच तक सीमित न रखकर स्नातक दर एवं रोज़गार जैसे दीर्घकालिक संकेतकों पर भी निगरानी रखनी चाहिए (उकेय, 2025)। समग्र रूप से यह साहित्य दर्शाता है कि जागरूकता की कमी, विलंबित भुगतान और प्रक्रियात्मक जटिलता बार-बार उभरने वाली बाधाएँ हैं, परंतु कानपुर जैसे शहरी-औद्योगिक जनपद पर केंद्रित अध्ययन सीमित हैं, यही शोध-अंतराल प्रस्तुत अध्ययन को प्रासंगिक बनाता है।

3. अध्ययन के उद्देश्य

1. कानपुर नगर जनपद में अनुसूचित जाति विद्यार्थियों हेतु संचालित प्रमुख प्रशासनिक/छात्रवृत्ति योजनाओं की पहुँच के स्तर का आकलन करना।
2. इन योजनाओं की प्रभावशीलता का नामांकन एवं ड्रॉपआउट जैसे शैक्षिक संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन करना।

4. परिकल्पनाएँ

1. प्रशासनिक योजनाओं की औपचारिक उपलब्धता के बावजूद पात्र अनुसूचित जाति विद्यार्थियों तक उनकी वास्तविक पहुँच में उल्लेखनीय अंतराल विद्यमान है।
2. छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ने के साथ अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की ड्रॉपआउट दर में कमी आती है।

5. शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध अभिकल्प पर आधारित है तथा पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों के विश्लेषण पर निर्भर है। चूँकि अध्ययन का उद्देश्य योजनाओं की पहुँच और प्रभावशीलता का व्यापक चित्र प्रस्तुत करना है, इसलिए प्राथमिक सर्वेक्षण के स्थान पर प्रामाणिक प्रकाशित अभिलेखों को आधार बनाया गया है। अध्ययन का क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर जनपद है, और विश्लेषण की इकाई जनपद एवं राज्य स्तर पर उपलब्ध अनुसूचित जाति विद्यार्थियों से संबंधित समग्र आँकड़े हैं। आँकड़ों के स्रोत के रूप में भारत की जनगणना 2011, यू-डाइस+ की वार्षिक रिपोर्ट, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्तियाँ तथा भारत सरकार के मुक्त आँकड़ा मंच का उपयोग किया गया है। ये सभी स्रोत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और सत्यापन-योग्य हैं।

शोध-उपकरण के रूप में एक संरचित आँकड़ा-संकलन प्रपत्र का प्रयोग किया गया, जिसमें जनसंख्या, नामांकन, लाभार्थी संख्या, आवंटित राशि और ड्रॉपआउट दर जैसे चरों को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया गया। प्रविधि के रूप में अध्ययन में वर्णनात्मक सांख्यिकी प्रतिशत, अनुपात, औसत तथा प्रवृत्ति-तुलना का उपयोग किया गया। योजनाओं की पहुँच को कवरेज अनुपात के माध्यम से तथा प्रभावशीलता को नामांकन-वृद्धि एवं ड्रॉपआउट-प्रवृत्ति के माध्यम से मापा गया। परिकल्पनाओं का परीक्षण उपलब्ध आँकड़ों की तुलनात्मक प्रवृत्ति-विश्लेषण पद्धति से किया गया, क्योंकि द्वितीयक समग्र आँकड़ों पर प्रायिकता-आधारित परीक्षण लागू नहीं होते। आँकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक तालिका के नीचे उसका स्रोत स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है तथा एक से अधिक स्रोतों से आँकड़ों का मिलान किया गया है। अध्ययन की एक सीमा यह है कि जनपद-स्तर पर विशुद्ध अनुसूचित जाति-विशिष्ट छात्रवृत्ति आँकड़े सीमित मात्रा में प्रकाशित होते हैं, अतः कुछ स्थानों पर राज्य एवं राष्ट्रीय आँकड़ों से अनुमान-आधारित व्याख्या की गई है।

6. परिणाम

नीचे दी गई तालिकाओं में अध्ययन क्षेत्र एवं संबंधित योजनाओं से जुड़े वास्तविक द्वितीयक आँकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। प्रत्येक तालिका के साथ उसका सांख्यिकीय विवेचन दिया गया है।

तालिका 1: कानपुर नगर जनपद की जनसांख्यिकीय रूपरेखा (जनगणना 2011)

विवरण	संख्या
कुल जनसंख्या	45,81,000
ग्रामीण जनसंख्या	15,66,000
शहरी जनसंख्या	30,16,000
अनुसूचित जाति जनसंख्या	8,17,000
अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	3,750

स्रोत: जिला प्रशासन कानपुर नगर (2023), जनगणना 2011 पर आधारित।

तालिका 1 दर्शाती है कि कानपुर नगर मुख्यतः शहरी जनपद है, जहाँ लगभग 65.8 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। अनुसूचित जाति जनसंख्या लगभग 8.17 लाख है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 17.8 प्रतिशत है यह एक महत्वपूर्ण लक्षित समूह है। अनुसूचित जनजाति की संख्या नगण्य है। यह वितरण संकेत देता है कि जनपद में योजनाओं का मुख्य केंद्र-बिंदु अनुसूचित जाति विद्यार्थी ही हैं, और शहरी बहुलता के कारण योजनाओं की भौगोलिक पहुँच अपेक्षाकृत सुगम होनी चाहिए।

तालिका 2: यू-डाइस+ के अनुसार भारत में विद्यालयी ड्रॉपआउट दर (प्रतिशत)

शैक्षिक स्तर	2021-22	2023-24	2024-25
प्राथमिक (1-5)	1.5	1.9	0.3
उच्च प्राथमिक (6-8)	3.0	5.2	3.5
माध्यमिक (9-10)	12.6	14.1	8.2

स्रोत: एजुकेशन फ़ॉर ऑल इन इंडिया (2025, 2026), यू-डाइस+ रिपोर्ट पर आधारित।

तालिका 2 स्पष्ट करती है कि ड्रॉपआउट दर माध्यमिक स्तर पर सर्वाधिक है, जहाँ 2023-24 में यह राष्ट्रीय औसत 14.1 प्रतिशत तक पहुँची। प्राथमिक स्तर पर दर बहुत कम (0.3–1.9 प्रतिशत) है। 2024-25 में माध्यमिक दर घटकर 8.2 प्रतिशत हुई, जो सुधार का संकेत है, परंतु यह

स्तर अब भी सर्वाधिक संवेदनशील बना हुआ है। यही वह स्तर है जहाँ पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की प्रभावशीलता सबसे अधिक मायने रखती है, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी इसी संक्रमण-बिंदु पर पढ़ाई छोड़ते हैं।

तालिका 3: पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (अनुसूचित जाति) — राष्ट्रीय लाभार्थी प्रवृत्ति

वर्ष	लाभार्थी (लगभग)
2020-21	40 लाख से अधिक
2022-23	50 लाख से अधिक
2023-24	60 लाख से अधिक

स्रोत: भारत सरकार मुक्त आँकड़ा मंच (2023); इम्प्री (2025)।

तालिका 3 दर्शाती है कि पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के राष्ट्रीय लाभार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, 2020-21 के 40 लाख से बढ़कर 2023-24 में 60 लाख से अधिक। यह बढ़ती कवरेज योजना के विस्तार का संकेत है। तथापि लाभार्थी संख्या में वृद्धि स्वयं प्रभावशीलता का प्रमाण नहीं है, क्योंकि यह नहीं बताती कि कितने पात्र विद्यार्थी अब भी छूट रहे हैं अथवा भुगतान समय पर मिला या नहीं। अतः कवरेज-वृद्धि को गुणवत्ता-संकेतकों के साथ पढ़ना आवश्यक है।

तालिका 4: प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (अनुसूचित जाति एवं अन्य) — केंद्रीय अंश, वित्त वर्ष 2023-24

विवरण	मान
जारी केंद्रीय अंश	₹157.75 करोड़
लाभार्थी संख्या	7.38 लाख
केंद्र–राज्य अनुपात	60 : 40
वितरण माध्यम	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी-बी-टी)

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (2023)।

तालिका 4 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ₹157.75 करोड़ का केंद्रीय अंश 7.38 लाख लाभार्थियों को जारी हुआ। प्रति लाभार्थी औसत केंद्रीय अंश लगभग ₹2,138 बैठता है, जो माध्यमिक-पूर्व स्तर पर अपेक्षाकृत सीमित राशि है। 60:40 का साझा प्रारूप दर्शाता है कि वितरण राज्य-अंश जारी होने पर निर्भर है, यदि राज्य-अंश में विलंब हो तो समस्त भुगतान रुक जाता है, जो पहुँच में एक संरचनात्मक बाधा है।

तालिका 5: यू-डाइस+ के अनुसार सकल नामांकन अनुपात (प्रतिशत), 2024-25

शैक्षिक स्तर	समग्र	अनुसूचित जनजाति (तुलना हेतु)
माध्यमिक (9-10)	78.7	81.3
उच्चतर माध्यमिक (11-12)	58.4	—

स्रोत: एजुकेशन फ़ॉर ऑल इन इंडिया (2025), यू-डाइस+ 2024-25 पर आधारित।

तालिका 5 दर्शाती है कि माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 78.7 प्रतिशत है, जबकि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह घटकर मात्र 58.4 प्रतिशत रह जाता है। दोनों स्तरों के बीच लगभग 20 प्रतिशत-बिंदु का बड़ा अंतराल संक्रमण-चरण की कमज़ोरी को उजागर करता है। यह आँकड़ा सार्वभौमिक नामांकन के लक्ष्य से दूरी दर्शाता है और संकेत देता है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति जैसे वंचित समूहों हेतु छात्रवृत्ति का प्रभावी संचालन विशेष रूप से आवश्यक है।

तालिका 6: योजनाओं की पहुँच में प्रमुख प्रशासनिक बाधाएँ (साहित्य-आधारित संकलन)

बाधा	प्रकृति
जागरूकता की कमी	सूचनात्मक
छात्रवृत्ति राशि का विलंबित वितरण	वित्तीय/प्रशासनिक
बार-बार दस्तावेज़ की माँग	प्रक्रियात्मक
ऑनलाइन पोर्टल की तकनीकी समस्याएँ	तकनीकी
राशि की अपर्याप्तता	वित्तीय

स्रोत: कुमार (2017); मण्डल एवं मेटे (2019); देहलवार एवं शर्मा (2026) के आधार पर संकलित।

तालिका 6 योजनाओं की पहुँच में बाधक पाँच प्रमुख कारकों को वर्गीकृत करती है। इनमें से तीन विलंबित वितरण, दस्तावेज़ की पुनरावृत्ति और तकनीकी समस्याएँ, प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक प्रकृति की हैं, अर्थात वे प्रणाली-स्तर पर सुधार-योग्य हैं। शेष दो जागरूकता की कमी और राशि की अपर्याप्तता माँग-पक्ष एवं नीति-पक्ष से जुड़ी हैं। यह वर्गीकरण दर्शाता है कि प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु बहुआयामी हस्तक्षेप आवश्यक है, केवल एकल उपाय पर्याप्त नहीं।

तालिका 7: परिकल्पना परीक्षण सारांश

परिकल्पना	परीक्षण-आधार	परिणाम
परिकल्पना 1: औपचारिक उपलब्धता के बावजूद वास्तविक पहुँच में अंतराल	तालिका 3, 4, 6 की प्रवृत्ति-तुलना	समर्थित
परिकल्पना 2: प्रभावशीलता बढ़ने पर ड्रॉपआउट दर में कमी	तालिका 2, 5 की प्रवृत्ति-तुलना	आंशिक रूप से समर्थित

स्रोत: प्रस्तुत अध्ययन का विश्लेषण।

तालिका 7 दोनों परिकल्पनाओं के परीक्षण का सार प्रस्तुत करती है। परिकल्पना 1 समर्थित पाई गई, क्योंकि तालिका 6 की बाधाएँ तथा तालिका 3-4 की कवरेज-सीमाएँ स्पष्ट रूप से उपलब्धता और वास्तविक पहुँच के बीच अंतराल दर्शाती हैं। परिकल्पना 2 आंशिक रूप से समर्थित है, तालिका 2 में माध्यमिक ड्रॉपआउट दर 2024-25 में घटी, जो योजनाओं की बढ़ती पहुँच से संगत है, परंतु तालिका 5 का ऊँचा नामांकन-अंतराल दर्शाता है कि सुधार अभी अधूरा है।

7. विवेचना

प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम दोनों उद्देश्यों के संदर्भ में सार्थक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। पहला उद्देश्य योजनाओं की पहुँच के स्तर का आकलन करना था। तालिका 3 और 4 के आँकड़े दर्शाते हैं कि पोस्ट-मैट्रिक एवं प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ संख्यात्मक रूप से व्यापक हैं और इनके लाभार्थियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर पोस्ट-मैट्रिक योजना के लाभार्थी 60 लाख से अधिक हो जाना तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से धनराशि सीधे विद्यार्थियों के खाते में पहुँचना, ये दोनों पहुँच की दृष्टि से सकारात्मक संकेत हैं। तथापि तालिका 6 स्पष्ट करती है कि यह पहुँच पूर्ण नहीं है। जागरूकता की कमी, विलंबित भुगतान, दस्तावेज़ की बार-बार माँग और पोर्टल की तकनीकी समस्याएँ ऐसी बाधाएँ हैं जो औपचारिक उपलब्धता और वास्तविक प्राप्ति के बीच अंतराल उत्पन्न करती हैं। यही कारण है कि परिकल्पना 1 समर्थित पाई गई। कानपुर जैसे शहरी जनपद में भौगोलिक पहुँच भले ही सुगम हो, परंतु प्रक्रियात्मक बाधाएँ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समान रूप से प्रभावी रहती हैं, जैसा कि साहित्य भी पुष्ट करता है (कुमार, 2017; मण्डल एवं मेटे, 2019)।

दूसरा उद्देश्य योजनाओं की प्रभावशीलता का नामांकन एवं ड्रॉपआउट के आधार पर मूल्यांकन करना था। तालिका 2 दर्शाती है कि माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 2023-24 के 14.1 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 8.2 प्रतिशत हुई। यह गिरावट छात्रवृत्ति सहित विभिन्न शैक्षिक हस्तक्षेपों की बढ़ती पहुँच से संगत है, और इस अर्थ में परिकल्पना 2 को आंशिक समर्थन मिलता है। साहित्य भी इंगित करता है कि जिन राज्यों में पोस्ट-मैट्रिक योजना का क्रियान्वयन प्रभावी रहा है, वहाँ कक्षा दस के बाद अनुसूचित जाति विद्यार्थियों का ठहराव सुधरा है (उकेय, 2025)। परंतु तालिका 5 एक चेतावनी भी देती है, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात मात्र 58.4 प्रतिशत है, जो माध्यमिक स्तर के 78.7 प्रतिशत से काफ़ी कम है। यह बड़ा अंतराल दर्शाता है कि योजनाओं की प्रभावशीलता अभी संक्रमण-चरण की चुनौती को पूरी तरह हल नहीं कर पाई है। इसीलिए परिकल्पना 2 को पूर्ण नहीं, बल्कि आंशिक रूप से समर्थित माना गया।

इन परिणामों का नीतिगत निहितार्थ स्पष्ट है। योजनाओं की सफलता को केवल लाभार्थी-संख्या अथवा आवंटित राशि से नहीं आँका जा सकता; वास्तविक मापदंड यह है कि क्या पात्र विद्यार्थी समय पर, पर्याप्त और सरल प्रक्रिया से लाभ प्राप्त कर रहा है, और क्या वह अपनी शिक्षा पूरी कर पा रहा है। तालिका 6 की बाधाएँ बताती हैं कि सुधार बहुआयामी होना चाहिए, सूचनात्मक स्तर पर विद्यालय-आधारित जागरूकता अभियान, प्रशासनिक स्तर पर समयबद्ध एवं एकीकृत भुगतान, प्रक्रियात्मक स्तर पर दस्तावेज़ों का एकमुश्त सत्यापन, तथा नीतिगत स्तर पर छात्रवृत्ति राशि का बढ़ती शिक्षा-लागत के अनुरूप पुनरीक्षण। देहलवार एवं शर्मा (2026) का यह सुझाव कि निधि-प्रशासन में पारदर्शिता और भेदभाव-निवारण आवश्यक है, कानपुर के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। अध्ययन की कुछ सीमाएँ भी हैं। यह पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, अतः जनपद-स्तरीय अनुसूचित जाति-विशिष्ट सूक्ष्म आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण कुछ निष्कर्ष राज्य एवं राष्ट्रीय प्रवृत्तियों से अनुमानित हैं। भविष्य में कानपुर जनपद में प्राथमिक सर्वेक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से प्रत्यक्ष आँकड़े एकत्र कर इन निष्कर्षों का अधिक सूक्ष्म सत्यापन

किया जा सकता है। फिर भी प्रस्तुत विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि योजनाओं की पहुँच और प्रभावशीलता परस्पर जुड़ी हुई हैं, और दोनों में सुधार के बिना अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की शैक्षिक समता का लक्ष्य अधूरा रहेगा।

8. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि कानपुर नगर जनपद में अनुसूचित जाति विद्यार्थियों हेतु संचालित प्रशासनिक एवं छात्रवृत्ति योजनाएँ औपचारिक रूप से व्यापक एवं सुलभ हैं, तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसे सुधारों ने उनकी पहुँच को मज़बूत किया है। तथापि जागरूकता की कमी, भुगतान-विलंब, प्रक्रियात्मक जटिलता और राशि की अपर्याप्तता के कारण उपलब्धता और वास्तविक पहुँच के बीच अंतराल बना हुआ है। ड्रॉपआउट दर में हाल की गिरावट उत्साहजनक है, परंतु उच्चतर माध्यमिक स्तर पर निम्न नामांकन अनुपात दर्शाता है कि योजनाओं की प्रभावशीलता अभी सीमित है। योजनाओं को वास्तव में प्रभावी बनाने हेतु समयबद्ध वितरण, सरलीकृत प्रक्रिया, सघन जागरूकता और राशि का यथार्थवादी पुनरीक्षण आवश्यक है, ताकि शैक्षिक समता का संवैधानिक लक्ष्य साकार हो सके।

संदर्भ सूची

[1]. Census of India. (2011). *Primary census abstract: Scheduled castes and scheduled tribes*. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. https://censusindia.gov.in

[2]. Das, A., & Halder, U. K. (2018). Educational backwardness of scheduled caste women students at higher education level in West Bengal. *International Journal of Research and Analytical Reviews, 5*(4), 112–118. https://www.ijrar.org

[3]. Dehalwar, K., & Sharma, S. N. (2026). Scheduled caste students' education and post-matric scholarships in Madhya Pradesh. *Contemporary Voice of Dalit*. https://doi.org/10.1177/2455328X261438022

[4]. Department of Social Justice and Empowerment. (2021). *Post-matric scholarship for SC students: Scheme guidelines*. Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. https://socialjustice.gov.in/schemes/25

[5]. District Administration Kanpur Nagar. (2023). *Demography of Kanpur Nagar district*. Government of Uttar Pradesh. https://kanpurnagar.nic.in/demography/

[6]. Education for All in India. (2025). *State of dropout, transition and retention rates based on UDISE+ 2024-25 data*. https://educationforallinindia.com/state-of-dropout-transition-and-retention-rates-based-on-udiseplus-2024-25-data/

[7]. Education for All in India. (2025). *Secondary education in India: An analysis of UDISE+ 2024-25 data*. https://educationforallinindia.com/secondary-education-in-india-where-do-we-stand-an-analysis-of-udise-2024-25-data/

[8]. Education for All in India. (2026). *Dropout rates in schools in India*. https://educationforallinindia.com/dropout-rates-in-schools-in-india/

[9]. Gupta, A., & Sidhu, R. K. (2018). The effectiveness of student financial aid programmes in India: A policy evaluative study of post-matric scholarship scheme. *Journal of Educational Planning and Administration, 32*(3), 245–262. https://www.academia.edu/99115164

[10]. IMPRI Impact and Policy Research Institute. (2025). *Bridging gaps in education: The post-matric scholarship for SC students*. https://www.impriindia.com/insights/post-matric-scholarship-for-scstudents/

[11]. Kumar, S. (2017). *Impact of GOI post-matric scholarship scheme on the development of scheduled caste students* [Doctoral dissertation]. https://www.academia.edu/34918538

[12]. Mandal, S., & Mete, J. (2019). A study on the awareness of the scheduled castes with regard to educational development programmes. *International Journal of Research in Social Sciences, 9*(2), 88–99. https://www.academia.edu/43795464

[13]. Open Government Data Platform India. (2023). *State/UT-wise beneficiaries covered under post-matric scholarship scheme for SC students (PMS-SC) 2020-21 to 2022-23*. Government of India. https://www.data.gov.in/resource/stateut-wise-beneficiaries-covered-under-post-matric-scholarship-scheme-sc-students-pms-sc

[14]. Press Information Bureau. (2023). *Central share of Rs. 157.75 Cr released to 7.38 lakh beneficiaries under pre-matric scholarships scheme for SC & others during FY 2023-24*. Government of India. https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1986359

[15]. Roy, A., & Halder, U. K. (2018). Family environment as a factor in the educational development of scheduled caste students. *International Journal of Creative Research Thoughts, 6*(2), 401–407. https://www.ijcrt.org

[16]. Singh, R. (2023). A study of awareness and usefulness of educational schemes among students of scheduled castes and tribes in Sonbhadra district. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology, 11*(8). https://www.ijraset.com/research-paper/awareness-and-usefulness-of-educational-schemes-among-students-of-scheduled-castes-and-tribes

[17]. Thakur, N. H. S. (2017). An evaluative study of post-matric scholarship scheme for scheduled caste and scheduled tribe students. *International Journal of Academic Research and Development, 2*(4), 156–162. https://www.academia.edu/44690567

[18]. Ukey, A. (2025). *Bridging gaps in education: An analysis of the post-matric scholarship scheme for SC students*. IMPRI Insights. https://impriinsights.in/bridging-gaps-in-education-the-post-matric-scholarship-for-sc-students-impri-impact-and-policy-research-institute/

Cite this Article:

कुमकुम देवी & अवधेश श्रीवास्तव (2026) कानपुर के अनुसूचित जाति विद्यार्थियों हेतु प्रशासनिक योजनाओं की पहुँच एवं प्रभावशीलता का अध्ययन. International Journal of Emerging Voices in Education, 2(6), 11–17.

Journal URL: *https://ijeve.com/* ***DOI:*** *https://doi.org/10.59828/ijeve.v2i6.63*